No. 24-9/2020-S&I
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated 17th November, 2020

To,

1	Secretary/Deptt. of Agriculture State Govts./U.T	Uttar Pradesh/Uttrakhand/Madhya Pradesh/ Bihar/Rajasthan/Gujarat/Daman & Diu/Delhi/ Jharkhand/Chhattisgarh/Dadra & Nagar Haveli/ Arunachal Pradesh/Assam/Punjab/Haryana/ West Bengal/Mizoram/Meghalaya/Andaman & Nicobar Island/Manipur/Mizoram/Nagaland/ Sikkim/Tripura.
2	The Secretary (Food & Civil Supplies)	-do-
3	State Govts./U.T	-do-
4	The Director (Agriculture)	-do-
5	The Director (Food & Civil Supplies)	-do-
6	The Vice Chancellor, Agriculture University	-do-
7	The Managing Director, State Warehousing Corporation	-do-
8	The Managing Director, FCI, New Delhi	-do-
9	The Managing Director, CWC, New Delhi	-do-
10	The Managing Director, NCDC, New Delhi	-do-

Sub: Long Term Training Course (Batch No. 358) on Scientific Method of Storage & Inspection of Foodgrains at the Indian Grain Storage Management & Research Institute (IGMRI), Hapur w.e.f 04-01-2021 to 29-01-2021-reg.

Sir,

I am to state that the next Long Term Training Course (Batch No. 358) on Scientific Method of Storage & Inspection of Foodgrains at the Indian Grain Storage Management & Research Institute (IGMRI), Hapur is scheduled to commence from 04-01-2021 to 29-01-2021. The duration of the course will be 4 (four) weeks and the course will be conducted in English/Hindi Language.

2. A copy each of the details of the training course, prescribed proforma for application and the syllabus are enclosed. The course is meant to cater to the needs of officials working with the large scale Grain Storage Units, Post Harvest Grain Technology Extension and Public

Contd/-

Distribution agencies to ensure suitable quality control measures during procurement, storage, transportation and distribution of foodgrains.

3. No course fee is charged for this course from Government employees and students of SC/ST category. However, course fee of Rs. 8,000/- from Private Candidate and Rs. 2,500/- from student will be charged. The trainees however, will have to bear expenses on boarding, lodging and compulsory study tour of 3 (Three) days duration. Accommodation in the Hostel attached to the Institute is provided on "First come-First served" basis, at the approved rates.

4. You are requested to sponsor suitable candidates belonging to your organization for admission to the above course. **The last date for receipt of nomination (s) by this Department is 28-12-2020.** The nomination (s) may be sent to Officer-In-charge Indian Grain Storage Management & Research Institute, Meerut Road, Hapur-245101. The nomination (s) received after last date will not be entertained.

5. It may kindly be noted that withdrawal of name (s) after the nomination of the candidate (s) will not be entertained. The withdrawals of nomination and/or not deputing the candidate (s) result in non-utilization of seats for other candidates. It is, therefore, requested that the nomination may be made only after ensuring that the candidate (s) will be deputed for the above course.

Yours faithfully,

Encl: As above

17/11/2020

(Vishwajeet Haldar)
Deputy Commissioner (S&R)
Tel: 23384784

Copy to:-

1. Managing Directors of Food & Civil Supplies Corporation of all the above States/UT 2. General Manager (Region) 3. Regional Manager (CWC)	For sponsoring suitable candidates U.P/Uttrakhand/M.P/Bihar/Rajasthan/Gujarat/Daman & Diu/Delhi/Jharkhand/Chhattisgarh/Dadra & Nagar Haveli/Arunachal Pradesh/Assam/Punjab/Haryana/Meghalaya/Manipur/Mizoram/Nagaland/Sikkim/Tripura/West Bengal/Andaman & Nicobar Island

Copy for information to:-

1. The Officer-In-charge, IGMRI, Hapur.
2. The Officer-In-charge, IGMRI, FS, Ludhiana/Hyderabad & QCC, s Officer.

Syllabus for Long Term Training Course (LTTC) on "Scientific Methods of Storage & Inspection of Foodgrains" at IGMRI, Hapur and its Field Stations Ludhiana and Hyderabad.

(04 Weeks Duration)

A. **STORAGE:**

1. General Problems and factors responsible for storage losses in foodgrain at commercial/farm level.
2. Food Policy of India.
3. Post-Harvest losses in foodgrain.
4. Sources & Detection of infestation in stored foodgrain: preventive and control measures.
5. Traditional and modern methods of grain storage at farm level.
6. Insect pests of stored grain and milled products, their identification, biology and nature of damage.
7. Vertebrate pests and their control.
8. Toxic contaminants in foodgrain, their ill-effect and prevention.
9. Pesticide contaminants, tolerance limit of residue and anti-dotes.
10. Pesticide formulation; their physical, chemical and biological properties; precautions for safe handling, application and their efficacy.
11. Principles of scientific godown construction, and their specifications; Metallic & Non-Metallic structures, importance of bulk storage.
12. Role of moisture in godowns, its measurement in foodgrain & milled products.
13. Godown Management and code of storage practices including sanitation, hygiene and security measures in warehouse complex.
14. Safe storage of cereal seeds.
15. Fumigation of foodgrain by different fumigants including Methyl Bromide.
16. Insecticide Act.
17. Use of safety equipments-Demo
18. Fire fighting procedure-Demo

*****

B. INSPECTION

1. Foodgrain production and warehousing in India.
2. Morphology of cereals (wheat, rice, paddy etc.) and their constituents.
3. Milling, Processing and Packaging of wheat & paddy.
4. Pulses, their important varieties, constituents and milling procedures.
5. Handling & Transportation of foodgrain, calculation of LAS.
6. Procurement policy of foodgrain in India.
7. Inspection of foodgrain: Necessity, utility and terminology.
8. Sampling techniques and Grading of foodgrain.
9. Grain quality during storage of foodgrain i.e., categorization, classification and grade designation etc.
10. Uniform Specification of wheat, rice, paddy, maize etc.
11. Categorization of issuable and non-issuable stocks and disposal of non-issuable/damaged foodgrain.
12. Maintenance of godown accounts and book keeping.
13. Consumer Protection Act, 1986 and its importance.
14. Food Safety & Standards Act and its importance.
15. National Food Security Act, 2013 and its importance.
16. Overview of warehousing (Development & Regulation) act, 2007 and importance of Negotiable warehousing Receipt.
17. Maintenance of aptitude and code of ethics by the Civilian Employees on equality, justice dutifulness, integrity, empathy and compassion during the service.
18. Issue of foodgrain to the State Govt. and their agencies for TPDS and other welfare schemes.
19. Role of India in SAARC Food Bank.

****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION
DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION
INDIAN GRAIN STORAGE MANAGEMENT & RESEARCH INSTITUTE
HAPUR/ HYDERABAD/LUDHIANA

*****

APPLICATION FOR ADMISSION TO LONG TERM TRAINING COURSE

1. **Name of Applicant :**
2. **Father's Name :**
3. **Date of Birth :**
4. **Qualifications :**

S.No	Name of the Board/ Universities	Name of the Examination passed	Subjects	Year	Division

5. **Experience in storage of foodgrains if any:**
6. **Whether the applicant belongs to SC/ST:**
7. **Postal Address :**
8. **Address of the controlling/Sponsoring/Authority (in case of employed person)**

Certified that I shall abide by the discipline at the Institute during the period of training.

Signature of Applicant

Remarks of the recommending Authority

Date : **Signature**

Place : **Designation**

संख्या: 24-9/2020 भं. एवं अनु.

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनॉक: 17th नवम्बर, 2020

सेवा में,

1. सचिव, कृषि विभाग, राज्य सरकारें — उ.प./उत्तराखंड /एम.पी./राजस्थान/गुजरात/संघ राज्य क्षेत्र दमन और दिऊ/दिल्ली/झारखंड/छतिशगढ़/दादर और नागर हवेली/अरुणाचल प्रदेश/असम/पंजाब/हरियाणा/वेस्टबंगाल/अंडमान और निकोबार/मेघालय/मणिपुर/मिजोरम/नागालैंड/सिक्किम/त्रिपुरा, जम्मू और काश्मीर।
2. सचिव (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति) - वही-
3. राज्य सरकारें/ संघ राज्य क्षेत्र - वही-
4. निदेशक (कृषि) - वही-
5. निदेशक (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति - वही-
6. प्रबंध निदेशक, राज्य भंडारण निगम - वही-
7. कुलपति, कृषि विश्विद्यालय -सूची के अनुसार-
8. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली -सूची के अनुसार-
9. प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय भंडारण निगम,नई दिल्ली -सूची के अनुसार-
10. प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम,नई दिल्ली।

विषय: भारतीय अनाज संचयन प्रबंधन अनुसंधान संस्थान (आई. जी. एम. आर. आई), हापुड में खाद्यान्नों के भंडारण और निरीक्षण की वैज्ञानिक पद्धति के संबंध में दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम **(बैच सं. 358)** 04-01-2021 से 29-01-2021.

महोदय,

मुझे यह कहना है कि भारतीय अनाज संचयन प्रबंधन अनुसंधान संस्थान, आई. जी. एम. आर. आई. हापुड, मेरठ रोड, हापुड-245101 (दूरभाष- 0122-2316648 फ़ैक्स- 0122-2316601) में खाद्यान्नों के भंडारण और निरीक्षण की वैज्ञानिक पद्धतियों पर अगला दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम **(बैच सं. 358)** 04-01-2021 से 29-01-2021 तक चलेगा। यह पाठ्यक्रम 4 सप्ताह की अवधि का होगा तथा यह हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में संचालित होगा।

2. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के विवरण, आवेदन के निर्धारित प्रपत्र तथा पाठ्यक्रम की एक- एक प्रति संलग्न है। यह पाठ्यक्रम बड़े पैमाने पर अन्न भंडारण यूनिटों, फसल कटाई उपरांत अनाज प्रौद्योगिकी विस्तार तथा सार्वजनिक वितरण एजेंसियों के साथ कार्य कर रहे कार्मिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है ताकि खाद्यान्नों की खरीददारी, भंडारण, ढुलाई तथा वितरण के दौरान उपयुक्त गुणवत्ता नियंत्रण उपाय सुनिश्चित किए जा सकें।

3. इस पाठ्यक्रम के लिए सरकारी कर्मचारियों एवं अ. जा. / अ. ज. जा. वर्ग के विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। तथापि, निजी अभ्यर्थियों से 8000/- रूपये और विद्यार्थियों से 2500/- रूपये का पाठ्यक्रम शुल्क प्रभारित किया जाता है। **तथापि, आवास भोजन तथा तीन (3) दिन की अवधि के अनिवार्य अध्ययन दौरे से संबंधित व्यय प्रशिक्षुओं को वहन करना होगा। संस्थान के छात्रावास में आवास ''पहले आओ – पहले पाओ'' आधार पर अनुमोदित दरों पर उपलब्ध कराया जाता है।**

4. अनुरोध है कि उपर्युक्त पाठ्यक्रम के लिए अपने संगठन से संबंधित उपयुक्त अभ्यर्थियों को नामित करने की कृपा कृपा करें। नामांकन (नामांकनों) के इस विभाग में प्राप्त होने की अंतिम तारीख 28-12-2020 है। इस तारीख के बाद प्राप्त होने वाले नामांकन (नामांकनों) पर विचार नहीं किया जाएगा ।

5. कृपया नोट कर लें कि अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के नामांकन के बाद उनके नाम को वापस नहीं लेने दिया जाएगा। नामांकन वापस लेने/अथवा अभ्यर्थियों को न भेजने से अन्य अभ्यर्थियों के लिए सीटों को इस्तेमाल नहीं हो पाता पाता है। अत: अनुरोध है कि यह सुनिश्चित करने के बाद ही नामांकन भेजे जाएं कि उपर्युक्त पाठ्यक्रम के लिए अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) को भेजा जाएगा।

भवदीय,

संलग्नक: यथोपरि।

17/11/2020

(विश्वजीत हालदार)
उपायुक्त (एस. एंड आर.)
दूरभाष : 23384784

प्रतिलिपि:

1	उपर्युक्त सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रबंध निदेशक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम	प./उत्तराखंड/एम.पी/बिहार/राजस्थान/गुजरात/दमन&दिऊ/दिल्ली/झारखंड/छतिदादर & नागर हवेली/अरुणाचल प्रदेश/असम/पंजाब/हरियाणा/वेस्टबंगाल/औरनिकोबार/मेघालय/मणिपुर/मोजोरम/नागालैंड/सिक्किम/त्रिपुरा
2	आंचलिक प्रबंधक वरिष्ठ/ क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम	- वही-
3	क्षेत्रीय प्रबंधक, केन्द्रीय भंडार नार्थ प्रति:	- वही-

1. प्रभारी अधिकारी, आई. जी. एम. आर. आई. फील्ड स्टेशन, लुधियाना/हैदराबाद एवं गुण नियंत्रण कार्यालय हैदराबाद ।

भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान, हापुड़, लुधियाना और हैदराबाद में खाद्यान्न के भंडारण और निरिक्षकण के वैज्ञानिक तरीके पर दीर्घकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (एल.टी.टी.सी) के लिए पाठ्यक्रम।

(04 सप्ताह की अवधि)

अ. भंडारण

1) वाणिज्यिक/फार्म स्तर पर खाद्यान्न भंडारण की सामान्य समस्याएँ एवं नुकसान के लिए जिम्मेदार कारक ।
2) भारत की खाद्य नीति ।
3) खाद्यान्न में कटाई उपरांत हानियाँ ।
4) संग्रहित खाद्यान्न में कीट प्रकोप के स्त्रोत/प्रकोप की जांच व निवारक और नियंत्रण के उपाय ।
5) फार्म स्तर पर अनाज भंडारण के पारंपरिक और आधुनिक तरीके ।
6) भंडारित अनाज और प्रसंस्करित पदार्थों के कीट, उनकी पहचान, जीवन चक्र और हानि करने की प्रकृति।
7) रीढ़ वाले हानिकारक जन्तु और उनका नियंत्रण ।
8) खाद्यान्न दूषित करने वाले पदार्थ, उनेक दुष्प्रभाव एवं बचाव ।
9) खाद्यान्नों को दूषित करने वाले पेस्टिसाइड, उनकी सीमा और विषहर ।
10) पेस्टिसाइड फार्मूलेशनः उनके भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण, सुरक्षित, रख-रखाव, प्रयोग के लिए सावधानियाँ और उनकी प्रभावशीलता ।
11) वैज्ञानिक गोदाम निर्माण के सिद्धांतों और उनके विनिर्देशः धातु और गैर धातु भंडारण संरचनाएं, थोक भंडारण के महत्व ।
12) गोदामों में नमी की भूमिका, खाद्यान्न और प्रसंस्करित उत्पाद में इसकी माप ।
13) गोदाम प्रबंधन और स्वच्छता, साफ-सफाई और गोदाम परिसर में सुरक्षा उपायों सहित भंडारण पद्धतियों की संहिता ।
14) बीजों का सुरक्षित भंडारण ।
15) मिथाइल ब्रोमाइड सहित विभिन्न प्रधूमको से खाद्यान्नों का प्रधूमन ।
16) कीटनाशक अधिनियम ।
17) सुरक्षा उपकरणों डेमो का उपयोग-व प्रदर्शन ।
18) अग्निशमन प्रक्रिया-प्रदर्शन ।

******

ख. निरीक्षणः

1) भारत में खाद्यान्न उत्पादन और भंडारण ।

2) अनाज (गेहूं, चावल, धान आदि) की आकृति विज्ञान और उनके घटक ।

3) गेहू और धान की मिलिंग, प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग ।

4) दाल व उनके महत्वपूर्ण किस्मों, धटक और मिलिंग प्रक्रियाएँ ।

5) खाद्यान्नो का रख रखाव, परिवहन तथा हानि की गणना ।

6) भारत में खाद्यान्न की खरीद नीति ।

7) खाद्यान्न निरीक्षण की आवश्यकता, उपयोगिता और शब्दावली ।

8) नमूना लेने की तकनीक और खाद्यान्नों का श्रेणीकरण ।

9) भंडारण के दौरान अनाज की गुणवत्ता यानी, श्रेणीकरण, वर्गीकरण और ग्रेड पदनाम आदि ।

10) गेहू चावल,धान मक्का आदि की एक समान विनिद्रिष्टियाँ ।

11) गैर जारी करने योग्य / क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों का निपटान और वर्गीकरण ।

12) गोदाम खातों और तत्संबंधी रिकार्ड का रखरखाव ।

13) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 और इसका महत्व ।

14) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम और इसके महत्व ।

15) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 और इसके महत्व ।

16) भंडारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 और परक्राम्य गोदाम रसीद के महत्व का अवलोकन ।

17) सेवा के दौरान योग्यता और समानता, न्याय कर्तव्यपरायणता, विश्वसनीयता, ईमानदारी, सहानुभूति और सहनशीलता पर असैनिक कर्मचारियों द्वारा आचार संहिता का अनुपालन ।

18) राज्य सरकार की लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के लिए उनकी संस्था के लिए खाद्यान्न जारी करना ।

19) दक्षेस खाद्य बैंक में भारत की भूमिका ।

****

भारत सरकार

मंत्रालय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान

हापुड / लुधियाना / हैदराबाद

दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रवेश हेतु आवदेन

1. आवेदक का नामः
2. पिता का नामः
3. जन्मतिथिः
4. योग्यताएः

क्रमांक	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	परीक्षा का नाम पारित किया	विषय	वर्ष	डिविजन/प्राप्तांक (%)

5. खाद्यान्न भंडारण अनुभव यदि कोई हैः
6. अनुसूचित जाति/जनजातीः
7. डाक का पताः
8. नियोक्ता/प्रयोजितकर्ता का पताः

(सेवारत व्यक्ति के मामले में)

मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि प्रशिक्षण की अवधि के दौरान संस्थान में अनुशासन का पालन करूँगा/करूँगी ।

आवेदक के हस्ताक्षर

सिफारिश कर्ता की टिप्पणियां

तिथि:

हस्ताक्षरः

नामः

पदनामः

स्थानः